In,

The court of Sub-Judge 1st, Patna City

T.S.-233/2018 CIS-158/18

23-12-2021	वादी की ओर से हाजरी तथा वकालतनामा दाखिल किया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता वाद में उपस्थित हुए। वादी अपने दाखिल आवेदन पत्र दिनांक 28-09-2021 U/O-22 R/w Sec 151 C.P.C. को संचालित कर निवेदन करते है कि इस वाद के प्रतिवादी की मृत्यु हो गई है। अत: उनके स्थान पर उनके वारिशानों का नाम वाद पत्र में जोड़ने का आदेश दिया जाए। वदी के विद्वान अधिवक्ता का सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी की ओर से U/S 5 of Limitation Act के तहत आवेदन पत्र दाखिल किया गया है। अत: वादी की ओर से प्रतिस्थापन आवेदन पत्र U/O-22 R/w Sec 151 C.P.C. न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय लिपिक वाद पत्र से प्रतिवादी का नाम हटाकर उनके वारिशानों का नाम वाद पत्र के क्रम में जोड़े। वादी प्रतिस्थापित प्रतिवादी के उपस्थिति हेतु सम्मन की अपेक्षताएँ दाखिल कर तत्पश्चात् कार्यालय दोनों प्रोसेस से सम्मन निर्गत करे। वाद दिनांक 25.1.22 वास्ते प्रस्तुत करे। **अवर न्यायाधीश, प्रथम** **पटना सिटी**	